

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236443 CG-DL-E-09062022-236443

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] No. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

सं. 13/2015-2020

विषयः 'अनुपालन के बोझ को कम करने' और 'व्यापार करने की सुगमता' को बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 के अध्याय 5 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 18/79/एएम–21/पी–5.—समय–समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के अध्याय 5 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं। यह संशोधन एफटीपी–2015–20 के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए लागू हैं।

1. प्रक्रिया पुस्तक के मौजूदा पैरा 5.15 के अंत में निम्निलिखत वाक्य जोड़ा जाता है। "वर्ष 2022–23 के लिए रिटर्न फाईल करने की समय–सीमा को 30.09.2022 तक बढ़ाया जाता है। इस पैरा के तहत 5000 / –रु. का विलंब शुल्क वर्ष 2022–23 से भरे जाने वाले देय रिटर्न के लिए लागू है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः एचबीपी 2015—20 के पैरा 5.15 के तहत वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के साथ—साथ स्पष्टीकरण है कि वार्षिक रिटर्न भरने में देरी के लिए 5000 / —रु. का जुर्माना लगाना वर्ष 2022—23 से लागू है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक,विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

3900 GI/2022 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th June, 2022

No. 13/2015-2020

- Subject: Amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures 2015-20, related to Export Promotion Capital Goods Scheme to reduce 'Compliance Burden' and enhance 'Ease of doing Business' reg.
- **F. No. 18/79/AM-21/P-5.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Chapter 5 of the Handbook of Procedures (2015-20) with immediate effect. These amendments are applicable for EPCG authorizations issued under FTP-2015-20.
 - 1. The following sentence is added at the end of existing para 5.15 of Handbook of procedures.

"Time limit to file returns for the year 2022-23 is extended till 30.9.2022. Late fees of Rs. 5000/- under this para is applicable for the returns due to be filed from the year 2022-23 onwards.

Effect of this Public Notice: Extension of last date for filing of annual returns under Para 5.15 of HBP 2015-20 along with a clarification that imposition of penalty of Rs.5000/- for late filing of annual returns is applicable from 2022-23.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.